"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ1-77/2014/18 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् नारायणपुर, जिला-नारायणपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	महावीर मंदिर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	साकड़ीबेडा वार्ड
		15	डूमरतराई वार्ड
		13	कुम्हारपारा वार्ड
		12	माडिनदेवी वार्ड
		01	नयापारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	04	बंगलापारा वार्ड
		11	आश्रम वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
7.	महिला वर्ग	10	मुरियापारा वार्ड
		02	डी.एन.के. वार्ड
		06	बाजार पारा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1—77/2014/18 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1—78/2014/18 दिनांक 07—11—2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No.F 1-77/2014/18 the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Narayanpur, distt. Narayanpur** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	08	Mahavir Mandir Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	14	Sakadhibaida Ward
		15	Dumartarai Ward
		13	Kumharpara Ward
		12	MadinDevi Ward
		01	Nayapara Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	04	Banglapara Ward
		11	Aashram Ward
5.	Other Backward Class	Nil	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	Nil	Nil
7.	Female	10	mureyapara Ward
		02	D.N.K. Ward
		06	BazarPara Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.